

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या 137/2014

तारीख दायरा 22.10.2014

उनवान

1. प्रभूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड ।
2. लेखराज उम्र 46 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद  
जिला कोटा राजस्थान ।

– वादीगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पुत्र नन्दलाल ।
2. हजारीलाल पुत्र नन्दलाल ।
3. बाबूलाल पुत्र नन्दलाल ।
4. प्रहलाद पुत्र नन्दलाल ।
5. मथुरालाल पुत्र नन्दलाल ।
6. नेमीचन्द पुत्र डूंगरचन्द ।
7. छोटूलाल पुत्र डूंगरचन्द ।
8. गुलाब बाई पत्नी स्व० डूंगरचन्द जाति किराड निवासीगण जोगडा तहसील सांगोद जिला  
कोटा राजस्थान ।
9. नरोत्तम पुत्र भैरूलाल जाति धाकड ।
10. सीताबाई पुत्री भैरूलाल जाति धाकड ।
11. गीता पुत्री भैरूलाल जाति धाकड ।
12. निवेश कुमार उर्फ नितेश कुमार नाबालिग पुत्र रामनारायण ।
13. संजू नाबालिग पुत्री रामनारायण ।
14. मंजू नाबालिग पुत्री रामनारायण ।
15. सीमा नाबालिग पुत्री रामनारायण ।
16. शीला नाबालिग पुत्री रामनारायण ।
17. मनीषा नाबालिग पुत्री रामनारायण जरिये संरक्षक माता प्रेमबाई पत्नी स्व० रामनारायण ।
18. आशा पुत्री रामनारायण ।



उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

19. नवंबर 2020 पत्नी स्व० रामनारायण जाति धाकड निवासीगण बसेडा मौहल्ला मोटर गैरेज के पास  
झालावाड।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार जैन वादी वकील
2. श्री किशोरी लाल चौधरी वकील प्रतिवादीगण

दिनांक 19.11.2020

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण की अन्य सहखातेदारान प्रतिवादी कम 9 ता 19 के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नंबरान की कृषि भूमि के साथ साथ खसरा क्रमांक 412 की 0.79 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि वर्षों से वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में चली आ रही है, जिसमें वर्तमान में सोयाबीन की फसल है, जो कि कटाई के लिए तैयार है, वादीगण की उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ मेड मौके पर मौजूद है, जो कि लगभग डेढ से 2 फुट की चौड़ाई में मौजूद है।

वादीगण की उक्त कृषि भूमि के सटवा दक्षिणी तरफ खसरा नं० 411 की कृषि भूमि तथा जिसके दक्षिण में ग्राम जोगडी की सीमा आ रही है, वादीगण के खाते की कृषि भूमि को वादीगण शांति पूर्वक काशत कर रहे है।

वादीगण उनके खाते में दर्ज उक्त वर्णित खसरा नं० 412 की 0.79 हैक्टर कृषि भूमि को मौके पर पिछले कई वर्षों से शांति पूर्वक काशत करते चले आ रहे हैं। दिनांक 17.10.2014 को प्रतिवादीकम 3 ने मौके पर आकर वादीगण से कहा कि तुमने हमारी कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है और मैं इसी वक्त हमारी जमीन वापस लूंगा। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी कम 3 से कहा कि हमारा तुम्हारी जमीन पर कब्जा नहीं है, हमारी जमीन के चारो तरफ मेडबन्दी हो रही है, हमने तुम्हे कभी भी इस जगह पर काशत करते नहीं देखा है, तुम झूठ बोल रहे हो। वादीगण के इतना करने पर भी प्रतिवादी कम 3 नहीं माना, और उसने धमकी दी कि मैं व मेरे अन्य भाई तुम्हारी सोयाबीन की फसल को काटकर कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादी कम 3 द्वारा दी हुई धमकी से वादीगण के मन मे यह भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादी कम 1 ता 8 वादीगण के खाते की कृषि भूमि में जबरन

उपखण्ड अधिकारी

का कब्जे वदीगण को उनके खाते की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित कर सकते हैं  
का कब्जे के द्वारा उनके खाते की कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं  
के लिए वदीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा  
के स्वीकार करने के लिए वाद प्रस्तुत करें। यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वाद कारण दिनांक 17.10.2014 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रम 3 ने वादीगण की कृषि  
भूमि में बोई हुई फसल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 8 के  
विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें कि वे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 9 ता 19 के  
संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा नं० 412  
की 0.79 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से  
बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करें। और न ही वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में बोई गई फसल को  
नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। वकील  
केशोरी लाल चौधरी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व 7 का वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं.  
8 व 8 ओर से अंडर टेकिंग दी परन्तु कोई भी जवाब दावा पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी सं. 1 ता  
9 के जवाब बंद किए गए। प्रतिवादी सं. 9 व 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः इनके विरुद्ध  
एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। प्रतिवादी सं. 12 ता 17 (सभी नाबालिग) तथा प्रतिवादी  
सं. 18 की ओर से प्रतिवादी सं. 19 ने न्यायालय हाजा में स्वयं उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे  
विवादित भूमि में सहखातेदार हैं तथा उन्हें वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रकरण में मैंने पत्रावली का व संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया,  
बहस वादी सुनी गई, अपनी बहस में वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए  
संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिकी किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैंने यह पाया कि पत्रावली में जो दस्तावेज, साक्ष्य आदि उपलब्ध  
हैं उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया  
जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि - प्रतिवादीगण 1ता8 को  
स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 9 ता 19 के संयुक्त  
खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा नं० 412 की  
0.79 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा

प्रयास नहीं करें व किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत न करें और न ही वादीगण कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। वाद व्यय वादी स्वयं तदानुसार फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जावें एवं नम्बर से कम की

उपखण्ड अधिकारी  
(अजना सहरावत)  
सांगोद जिला कोटा  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद

वर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
(अजना सहरावत)  
सांगोद जिला कोटा  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद